न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम.नं. 2024/03
मुकदमा नम्बर 03/2024 दायर दिनांक–03.01.2024

गिरधारी सिह पुत्र धन सिंह जाति राजपूत, माण्डासी, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
...........आवेदकगण

बनाम

1. फूलाराम उर्फ हरफूल पुत्र नारायणराम
2. कूकू पुत्र फतेहचन्द **(आदेशिका 13/5/2024 के अनुसरण मे प्रा. पत्र से नाम हजफ किया गया।)**
3. देवेन्द्र पुत्र फतेहचन्द
4. बीरबल पुत्र नारायणराम
5. महेन्द्र पुत्र फतेहचन्द
6. रूकमणी पत्नी गिरधारी
7. विजेन्द्र पुत्र गिरधारी
8. विधाधर पुत्र नारायणराम
9. शारदा पत्नी फतेहचन्द
10. शिशुपाल पुत्र गिरधारी समस्त जाति मेघवंशी निवासी माण्डासी,तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनूं (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील आवेदक–श्री अमर सिंह शेखावत
वकील अनावेदकगण 1– श्री सुरेश कुमार सैनी
अनावेदकगण 3 लगा.10– एक पक्षीय
अनावेदक सं. 11– पैरो. राज.

:–निर्णय–:

दिनांकः–08/05/2024

यह प्रा0 पत्र आवेदक द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, राजस्व ग्राम माण्डासी पटवार हल्का माण्डासी की सरहद में कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खाता सं. नया 27 ख.नं. 135 रकबा 1.80 है0, भूमि ख.नं. 136 रकबा 1.77 है0, ख.नं. 137 रकबा 3.12 है0 यानी कुल किता 3 कुल रकबा 6.69 है0 जिसमें मकानात बनाकर परिवार सहित आवेदक रहता है। आवेदक को अपनी कृषि जोत ख.नं. 135,136,137 में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है। आवेदक अपनी जोत तक आने जाने के लिये भूमि ख.नं. 138 के दक्षिणी दिशा में सीमा से सटकर माण्डासी से देवगांव जाने वाली मुख्य सडक से पगडण्डी का उपयोग करता आ रहा है। ख.नं. 138 से आने जाने के लिये रास्ता दिनांक 10/6/2020 को संलग्न नजरी नक्शे अनुसार क्रय किया है। अनावेदक सं. 1 पूर्णतया सहमत है अतः नजरी नक्शे मे दर्शित ==============रास्ते को 12 फीट चौडा कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे।

प्रा0 पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक 1 जरिये वकील उपस्थित हो इकबालिया जवाब पेश किया। अनावेदक सं. 3 लगा. 10 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहे। अनावेदक सं. 11 कि और से पैरो. राज. उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट क्रमांक 81 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

19/2/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता नियरेस्ट व सोरटेस्ट है तथा आवेदक के पास अपनी जोत तक पहुँचने हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है। तहसीलदार नवलगढ से दोनो पक्षों की उपस्थिति में पुनः रिपोर्ट तैयार पत्रांक/राजस्व/2025/95 दिनांक 12.02.2025 की पेश की गई। जिसके अनुसार भी ख.नं. 138 की पूर्वी सीमा मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा बिन्दू सं. एं से बी दूरी 106 मीटर लम्बाई तथा 3.658 मीटर चौडाई कुल क्षेत्रफल 388 वर्ग मीटर अर्थात 0.0388 है0 जो रास्ते के रूप मे चालू है।

बहस वकील वादी पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा प्रा. पत्र मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वकील आवेदक ने अपने प्रा. पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट कमांक /राजस्व/2025/95 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व फर्द, नजरी नक्शे का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे आवेदक द्वारा अपने प्रा. पत्र मे चाहे गये रास्ते को नियरेस्ट व सोरटेस्ट बताया है तथा अपनी कृषि जोत तक पहुँचने के लिये उसके पास अन्य कोई विकल्प नही है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा उसके आवेदन पत्र के अनुरूप ग्राम माण्डासी के ख.नं. 138 से आने जाने के लिये रास्ता मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/95 दिनांक 12.02.2025 तथा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बिन्दू ए से बी लम्बाई 106 मीटर तथा चौडाई 3.658 मीटर कुल रकबा 388 वर्ग मीटर अर्थात् 0.0388 है0 भूमि का रास्ता सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज कर, कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते से प्रभावित भूमि ख.नं. 138 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। **सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट कमांक /राजस्व/2025/95 दिनांक 12.02.2025 मय नक्शा –फर्द उक्त आदेश का भाग होगा।**

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश रास्ते से प्रभावित भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर देवे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 8/05/2025 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू